

सहायक कलेक्टर (SDO)

मुकाम.....

दालत.....

हुकमसिंह बनाम

पूर्वी सिंह

88, 188

नं

95

सन्

2020

किस्म मुकदमा

राजवादे

Rt Act-

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
3-07-2020	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री <u>खेताराम जाखड</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>88, 188 Rt Act</u></p> <p>राजस्थान कास्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>6/07/2020</u> को पेश हो।</p> <p><i>(Signature)</i></p>	
6/7/2020	<p>वादी वकील उपरोक्त प्रतिवादी श्री <u>खेताराम जाखड</u> से वकील श्री <u>रघुपत पूनड</u> में कालतनामा मय शपथपत्र जमावादा मय शपथपत्र पेश किया गिया जिले शामिल पत्रावली किया गया। वादी वकील द्वारा वादी साक्ष्य के रूप में वादी वकील का शपथपत्र PW-1 व स्वतंत्र गवाह के रूप में PW-2 के शपथपत्र पेश किए गए जिले शामिल पत्रावली किया गया। वादी वकील की कसम खुर्ची गई। पत्रावली व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों व राजा व रेकर्ड का इन्फ्लोअर करने के बाद वादी का पक्ष खोला गया किया जाकर निर्णय अलग से लिया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। डीक्री पत्र जारी होकर पत्रावली फाइनल हुआ है। फर्निचर ले जाते हो दाखिल फर्त हो।</p> <p><i>(Signature)</i></p>	<p><u>पूर्वी सिंह</u></p> <p><u>जि.सि.</u></p> <p>पौलाम</p>



न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

(पीठासीन अधिकारी विवेक व्यास R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या- 95/2020

वादीगण

बनाम

प्रतिवादीगण

1. हुकमसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह
2. प्रेमसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह
जातियान्-राजपूत,
निवासीयान्-गोदारों की ढाणी,
माडपुरा बरवाला, तहसील-बायतु,
जिला-बाड़मेर

1. पृथ्वीसिंह पुत्र मंगलसिंह
जाति राजपूत निवासी- गोदारों की
ढाणी, माडपुरा बरवाला,
तहसील-बायतु, जिला-बाड़मेर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.

- उपस्थित :-
1. श्री खेताराम जाखड़ वकील वादीगण
 2. श्री नरपत पूनड़ वकील प्रतिवादी

-: निर्णय :-

दिनांक : 14/7/2020

संक्षेप में वाद कथन इस प्रकार हैं कि वादीगण ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरुद्ध प्रतिवादी प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी की पैतृक कब्जाशुदा खातेदारी की भूमि मौजा गोदारों की ढाणी पटवार मण्डल माडपुरा बरवाला तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 744, 745, 746, 808 रकबा क्रमशः 0.1214, 0.1375, 21.1149, 0.9223 हैक्टेयर आई हुई है। वादीगण व प्रतिवादी एक ही पूर्वज के वंशज हैं तथा प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण के पिता हैं। वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण के दादा के कब्जे काश्त की थी तथा सेटलमेंट के समय वादीगण के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ व सेटलमेंट से लेकर आज दिन तक वादग्रस्त भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक भूमि है और वादीगण अपने पैतृक भूमि में हिन्दू उत्तराधिकारी हैं और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा है तथा वादीगण अपने हिस्से अनुसार भूमि का बाहामी बंटवाड़ा कर काबिज है। क्योंकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हिन्दू पुरुष के पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र का विधि अनुसार जन्म से ही सहदायिकी अर्थात् पैतृक सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः वादग्रस्त भूमि में वादीगण, प्रतिवादीगण के साथ सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी हैं एवं जिस हेतु घोषणा का वाद इस न्यायालय में पेश किया गया है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। पक्षकारान् को सुना गया एवं वादीगण द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र व स्वतंत्र गवाह पेश किये गये तथा प्रतिवादी द्वारा उपस्थित होकर, इकबाली जवाब लिखित में पेश कर, वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के समस्त पदों को स्वीकार करते हुए, वादग्रस्त भूमि में वादीगण को सहखातेदार घोषित करने की पूर्ण सहमति प्रदान की है।


12/7/2020
सहायक कलक्टर (S.D.O.)
बायतु

न्यायालय द्वारा पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी को सुना गया। चूंकि वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण के दादा के कब्जे काश्त की थी एवं सेटलमेंट के समय वादीगण के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ था तथा वादीगण मंगलसिंह के विधिक वारिसान् है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा बनता है व वादग्रस्त समस्त भूमि में वादीगण सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है।


अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद-पत्र स्वीकार कर, अन्तिम डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा गोदारों की ढाणी पटवार मण्डल माडपुरा बरवाला तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 744, 745, 746, 808 रकबा क्रमशः 0.1214, 0.1375, 21.1149, 0.9223 हैक्टेयर में वादीगण को प्रतिवादी के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान् अपना-अपना वहन करें।



निर्णय आज दिनांक 14/7/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(विवेक व्यास)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु


(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

पीठासीन अधिकारी श्री विवेक व्यास R.A.S.

वादीगण

बनाम

प्रतिवादीगण

1. हुकमसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह
2. प्रेमसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह
जातियान्-राजपूत,
निवासीयान्-गोदारों की ढाणी,
माडपुरा बरवाला, तहसील-बायतु,
जिला-बाड़मेर

1. पृथ्वीसिंह पुत्र मंगलसिंह
जाति राजपूत निवासी- गोदारों की
ढाणी, माडपुरा बरवाला,
तहसील-बायतु, जिला-बाड़मेर

दावा बाबत 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या-95/2020.

निर्णय दिनांक :- 14/7/2020

वादी की ओर से वकील श्री खेताराम जाखड़ व प्रतिवादी की ओर से वकील श्री नरपत पूनड़ की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 14/7/2020 को न्यायालय में (नाम पीठासीन अधिकारी) विवेक व्यास, सहायक कलक्टर व उपखण्ड अधिकारी बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :-

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा गोदारों की ढाणी पटवार मण्डल माडपुरा बरवाला तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 744, 745, 746, 808 रकबा क्रमशः 0.1214, 0.1375, 21.1149, 0.9223 हैक्टेयर में वादीगण को प्रतिवादी के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बायतु निर्णयानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमलदरामद करें।

खर्चा वाद पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 14/7/2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।



सहायक कलक्टर (SDO)
(विवेक व्यास)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी		
	रुपया	रुपया	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड़		जोड़	